निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1947 (श0)

(सं0 पटना 1578) पटना, शनिवार, 4 अक्तूबर 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
4 अक्तूबर 2025

सं० 7/स्था0–04–35/2025–18783/सा0प्र0—भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**
   (1) यह नियमावली **"बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025"** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5(ग)(i) एवं नियम–5(ग)(ii) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–5(ग)(i) एवं नियम–5(ग)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

   "5(ग)(i) परिशिष्ट– 'क' में यथानिर्दिष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अध्यधीन 50 प्रतिशत पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) की प्रोन्नति से मेधा–सह–वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे।

   5(ग)(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में तीन वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले पदाधिकारियों के बीच से तथा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) एवं असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में कुल सात वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले पदाधिकारियों के बीच से मेधा के आधार पर 25 प्रतिशत पद भरे जायेंगे। परिशिष्ट–'ख' में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परीक्षा के अनुसार चयन किया जायेगा।"

3. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5(ग)(iv) के बाद नया नियम–5(ग)(v) एवं नियम–5(ग)(vi) जोड़ा जाना।**–उक्त नियमावली में नियम–5(ग)(v) एवं नियम–5(ग)(vi) को निम्नवत् जोड़ा जायेगाः–

"**5(ग)(v)**– यदि जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) का एल0डी0सी0ई0 हेतु आरक्षित कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे उस विशेष वर्ष में 'योग्यता–सह–वरीयता' के आधार पर नियमित प्रोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।

5(ग)(vi)– तीन अलग–अलग कोटा के बीच जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) की रिक्तियों की गणना संवर्ग क्षमता के आधार पर की जायेगी।"

4. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–16 (ङ) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–16 (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"**16(ङ)** इस संवर्ग में सदस्यों की वरीयता (उनकी नियुक्ति के स्त्रोत के आधार पर यथा 50% प्रोन्नति द्वारा, 25% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एवं 25% बार से सीधी भर्ती द्वारा) पदों के आधार पर और इस तथ्य पर विचार किये बिना कि वह व्यक्ति कब नियुक्त हुआ है, तैयार रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियत की जायेगी। इस संवर्ग में उपलब्ध पदों को शामिल करते हुए रोस्टर बिन्दु तैयार किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(i) संवर्ग के लिए 20 (बीस) बिन्दुओं का रोस्टर निम्न प्रकार होगाः–

(a) प्रोन्नति द्वारा, 50% (प्रतिशत) पदों के लिए–1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 एवं 18

(b) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, 25% (प्रतिशत) पदों के लिए–3, 7, 11, 15 एवं 19

(c) उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं की सीधी नियुक्ति से 25% (प्रतिशत) पदों के लिए–4, 8, 12, 16 एवं 20

किसी भी रोस्टर बिन्दु की रिक्ति, पद की उस कोटि से भरी जायेगी जो रोस्टर से संबंधित हो।

स्पष्टीकरण–

(ii) सवंर्गीय रोस्टर उच्च न्यायालय द्वारा चयन/नियुक्तिकी प्रक्रिया आरंभ किये जाने की तिथि से ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष के अनुसार वार्षिक आधार पर प्रोन्नति/नियुक्ति के तीन अलग स्त्रोतों के अनुसार संचालित होगा।"

5. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'क' के खंड–5 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'क' के खंड–5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"**खंड–(5)**– प्रोन्नति के लिए 10 (दस) अंकों का एक साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा, जिसमें उत्तीर्णता के लिए चार अंक अर्हक होगा।

विधि का अद्यतन ज्ञान, समझ, नैतिकता/योग्यता, संचार कौशल, सामान्य धारणाएं और जागरूकता आधारित साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।"

6. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ख' के खंड–2(b) के बाद नया खंड–2(c) जोड़ा जाना।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ख' में नया खंड–2(c) को निम्नवत् जोड़ा जायेगाः–

"**खंड–2(c)**–कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार विगत पाँच वर्षों में बीस त्रैमासिक अवधि के अन्तर्गत अथवा इसके अनुपात में पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में 6 या उससे अधिक Poor/Fair/Average की प्रविष्टि अंकित न हो, अन्यथा वे प्रोन्नति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। स्वांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जायेगा।"

7. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ख' के खंड–4 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ख' के खंड–4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"**खंड–(4)**– उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, न्यायादेश लेखन तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक–100 तथा उत्तीर्णांक 45/न्यायादेश लेखन का पूर्णांक–60 तथा उत्तीर्णांक–30 तथा साक्षात्कार के पूर्णांक–40 तथा उत्तीर्णांक–18 होंगे।

पाठ्यक्रम–

(i) लिखित परीक्षाः–प्रोसेजुरल लॉ (सी0पी0सी0, बी0एन0एस0एस0, बी0एस0ए0) बी0एन0एस0, एम0भी0 एक्ट, प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सक्शेसन एक्ट, एस0सी0 एवं एस0टी0 एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, हिन्दू लॉ, मोहम्मडन लॉ, फैमिली कोर्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रेक्ट एक्ट, टी0पी0 एक्ट, सिविल कोर्ट रूल्स, क्रिमिनल कोर्ट रूल्स तथा सामान्य पत्र एवं परिपत्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) न्यायादेश लेखन (प्रत्येक सिविल मामले में दो और आपराधिक मामले में दो):–सिविल और आपराधिक न्यायादेश दोनों में से एक–एक को अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए।

(iii) मौखिक परीक्षाः–विधि का अद्यतन ज्ञान, समझ, नैतिकता/योग्यता, संचार कौशल, सामान्य धारणाएं और जागरूकता आधारित साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गुफ़रान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

General Administration Department

Notification

The 4th October 2025

No-7/Astha-04-35/2025-18783/GAD—In exercise of the powers conferred by Article 233 of the Constitution of India read with the proviso to Article 309, the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following amendment in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

1. ***Short title, extent and commencment***:-

(1) These rules may be called **"The Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2025"**.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. ***Substitution of Rule 5(c)(i) and 5(c)(ii) of the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time).-****Rule-5(c)(i) and 5(c)(ii) of the said rules shall be substituted as follows:-*

"**5(c)(i)** 50 percent of the posts shall be filled by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the principles of merit-cum-seniority subject to suitability parameters as indicated in Appendix-'A'.

5(c)(ii) 25 percent of the post shall be filled on the basis of merit through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) conducted by the Patna High Court, Patna from amongst officers having not less than 3 years of service as Civil Judge (Senior Division) and not less than 7 years of total service rendered as a Civil Judge (Junior Division) and Civil Judge (Senior Division). Selection shall be as per the procedure and examination as specified in Appendix-'B'."

3. ***Addition of the new Rule 5(c)(v) and 5(c)(vi) after the Rule 5(c)(iv) of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)"-*** *The Rule 5(c)(v) and 5(c)(vi) of the said Rules shall be added as follows:-*

"5(c)(v) If any post reserved for LDCE for the District Judge (Entry Level) remains vacant, the same shall be filled through regular promotion on the basis of 'merit-cum-seniority' in that particular year.

5(c)(vi) Vacancies of the District Judge (Entry Level) amongst three different quotas shall be calculated on the basis of cadre strength."

4. ***Substitution of Rule 16(e) of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)".-****Rule 16(e) of the said rules shall be substituted as follows:-*

"16(e) The seniority of the members (as per their source of appointment viz. 50% by promotion, 25% by Limited Departmental Competitive Examination and 25% by Direct recruitment from Bar) of this cadre shall be fixed by Roster Points prepared on the basis of post and irrespective of the fact as to when a person is appointed. The roster shall be prepared including all the posts available in this cadre.

Explanation*:—*

(i) - The 20 point roster for the cadre will be as follows:

(a) For 50% of the posts- 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 & 18 by promotion

(b) For 25% of posts- 3, 7, 11, 15 & 19 by Limited Departmental Competitive Examination

(c) For 25% of posts- 4, 8, 12, 16 & 20 by direct recruitment from amongst eligible Advocates on the basis of Written and Viva-voce Test conducted by the High Court of Judicature at Patna

The vacancy of any roster point has to be filled from amongst the category to which the post belongs in the roster.

Explanation

(ii) - The roster for the cadre will operate on yearly basis as per the British Calendar year from the date of selection/appointment process is set in motion by the High Court in respect of three different sources of promotion/ appointment."

5. ***Substitution of Clause 5 of Appendix 'A' of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)".-****Clause 5 of Appendix 'A' of the said rules shall be substituted as follows:-*

"Clause-5 There shall be Interview (Viva-voce Test) of 10 Marks with 4 as qualifying marks.

Updated knowledge of law, Comprehension, Ethics/ Aptitude, Communication Skills, General perceptions and awareness shall be taken into account in Interview (Viva-voce Test)."

6. ***Addition of a new Clause 2(c) of Appendix 'B' after the Clause 2(b) of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)"-*** *The new Clause 2(c) of Appendix 'B' of the said Rules shall be Added as follows:-*

"Clause2(c) For performance appraisal the officer must not have scored 6 or more entries of Poor/Fair/Average during the last 20 quarters or in that proportion during last 5 years, failing which he shall stand disqualified for the promotion. Explanation submitted with the self appraisal, if any, may be considered in respect of relevant entries."

7. ***Substitution of Clause 4 of Appendix 'B' of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)".-****Clause 4 of Appendix 'B' of the said rules shall be substituted as follows:-*

"Clause-4 The selection of the candidates shall be on the basis of Written Test, Judgment Writing and Interview (Viva-voce Test). The full marks for Written Test shall be 100 with 45 as qualifying marks. Full marks for Judgment writing shall be 60 with 30 as qualifying marks. Full marks for Interview (Viva-voce Test) shall be 40 with 18 as qualifying marks.

Syllabus:

(i) Written Test :- Questions will be set on the Procedural Law (CPC, BNSS, BSA) BNS, M.V. Act, Prevention of Corruption Act, Negotiable Instrument Act, Succession Act, S.C. & S.T. Act, N.D.P.S. Act, Hindu Law, Mohammedan Law, Family Court Act, Specific Relief Act, Limitation Act, Contract Act, T.P. Act., Civil Court Rules, Criminal Court Rules and General Letters and Circulars.

(ii) Judgment Writing (Two each in Civil Matter and in Criminal Matter):- One each of Civil and Criminal Judgment must be written in English.

(iii) Viva-voce Test:- Updated knowledge of law, Comprehension, Ethics/ Aptitude, Communication Skills, General perceptions and awareness shall be taken into account in Interview (Viva-voce Test)."

By the Order of Governor of Bihar,
Ghufran Ahmad,
Additional Secretary to the Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1578-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bar.gov.in